



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 43]

नई दिल्ली, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2017, शनिवार/पौष 3—पौष 9, 1939

No. 43]

NEW DELHI, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2017, SATURDAY/PAUSA 3—PAUSA 9, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 104.—केंद्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम 1978(1978 का 30) की धारा 123 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में महानिदेशक तटरक्षक भर्ती नियम, 2013 और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में अपर महानिदेशक तटरक्षक भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन में सामान्य ड्यूटी शाखा अफसरों के पदों की भर्ती की पद्धति विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक एवं तटरक्षक अपर महानिदेशक, समूह "क" पद, भर्ती नियम 2017 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13 में) विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या संविदा की है

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. महानिदेशक तटरक्षक (म.नि.त.र.)	* 1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क" राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	स्तर 16 (2,05,400- 2,24,400 रु.)	चयन-सह - योग्यता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स स्तर 15 (1,82,200-2,24,100 रु.) में तटरक्षक संगठन में ऐसा सेवारत अपर महानिदेशक जिन्होंने एक वर्ष की नियमित सेवा, कुल अठाइस वर्ष की समूह "क" सेवा के साथ की हो।

	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>नौसेना की कार्यपालक शाखा का कोई ऐसा अधिकारी</p> <p>(i) जिसने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रखा हो; या</p> <p>(ii) जिसने अधिष्ठायी हैसियत में वेतन मैट्रिक्स स्तर 15 (1,82,200-2,24,100 रु.) में वाइस एडमिरल का रैंक धारण किया हुआ है।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>(i) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(1) रक्षा सचिव	- अध्यक्ष
(2) उप नौसेनाध्यक्ष	- सदस्य
(3) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अपर महानिदेशक (ए डी जी)	* 3 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 15 (1,82,200-2,24,100 रु.)	चयन-सह-योग्यता

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 (1,44,200-2,18,200 रु.) में तटरक्षक संगठन के साधारण ड्यूटी शाखा के ऐसे सेवारत महानिरीक्षक जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा, कुल सत्ताइस वर्ष की समूह "क" सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) रक्षा सचिव - अध्यक्ष (2) अपर सचिव - सदस्य (3) महानिदेशक तटरक्षक - सदस्य सचिव	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 11(4)/2017/डी(सीजी)]

सुधीर बाबु मोटाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st December, 2017

S.R.O. 104.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), and in supersession of the Ministry of Defence, Coast Guard Director General, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2013 and the Ministry of Defence, Coast Guard Additional Director General Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General Coast Guard and Additional Director General Coast Guard, in the Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Director General and Coast Guard Additional Director General Coast Guard, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection posts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director General Coast Guard. (DGCG)	1*(2017) * Subject to variation depending on work load.	Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Level 16 (Rs 2,05,400-2,24,400)	Selection-cum-merit

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Serving Additional Director Generals of General Duty Branch with one year regular Service in Level 15 in Pay Matrix (Rs. 1,82,200-2,24,100) with total Twenty Eight years Group 'A' Service in Indian Coast Guard.</p> <p>Deputation: An officer of the 'Executive Branch of Navy : (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding Vice Admiral's rank in Level 15 (Rs. 1,82,200-2,24,100) of Pay Matrix, in substantive capacity.</p> <p>Note I. The departmental officer in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consists of :</p> <p>(1) Defence Secretary - Chairman</p> <p>(2) Vice-Chief of Naval Staff -Member</p> <p>(3) Additional Secretary, Ministry of Defence - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note II : Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Additional Director General (ADG)	3* (2017) * Subject to variation depending on work load	Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Level 15 (Rs. 1,82,200-2,24,100)	Selection-cum-merit

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Serving Inspectors General of General Duty Branch with three years' regular service in Level 14 of Pay Matrix (Rs.1,44,200-2,18,200) with total twenty seven years Group 'A' service in Indian Coast Guard.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consists of : (1) Defence Secretary – Chairman (2) Additional Secretary, Ministry of Defence – Member (3) Director General Coast Guard - Member Secretary	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 11(4)/2017/D(CG)]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उनका संबंध प्लम्बर पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पुणे में प्लम्बर (कुशल, उच्च कुशल श्रेणी-2 और उच्च कुशल श्रेणी-1) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा सेवा सिविलियन (समूह 'ग' पद) प्लम्बर (कुशल, उच्च कुशल श्रेणी-2 और उच्च कुशल श्रेणी-1) पद भर्ती नियम 2017 है

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति और आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी पर किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्लम्बर (कुशल)	02* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, औद्योगिक	(वेतन लेवल -2 (रु. 19900-63200)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा, में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास या समतुल्य। (ख) संबद्ध ट्रेड में आई टी आई सर्टिफिकेट या उसके समतुल्य। (ग) किसी ख्यात या मान्यता प्राप्त फर्म अथवा संगठन से सहयुक्त व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन: रक्षा सेवाओं के निम्न विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्च श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति सेवा में पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए:- 1. कमांडेंट या उसका नामनिर्देशिनी जो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नीचे का न हो - अध्यक्ष 2. मेजर या समतुल्य सिविलियन अधिकारी - सदस्य 3. असंबंध विभाग से कमीशंड आफिसर या समूह 'क' राजपत्रित सिविलियन आफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
प्लम्बर (उच्च कुशल श्रेणी-1)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, औद्योगिक	(वेतन लेवल -5 (रु. 29200-92300)

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे प्लम्बर (कुशल) जिनकी वेतन लेवल-4 (रु. 25500-81100) की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है और पद के लिए विहित व्यवसाय परीक्षण पास हैं।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. कमांडेंट या उसका नामनिर्देशिती जो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नीचे का न हो - अध्यक्ष 2. मेजर या समतुल्य सिविलियन अधिकारी - सदस्य 3. असंबंध विभाग से कमीशंड आफिसर या समूह 'क' राजपत्रित सिविलियन आफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
प्लम्बर (उच्च कुशल श्रेणी-2)	01* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, औद्योगिक

(4)	(5)	(6)	(7)
लेवल - 4 (रु. 25500-81100)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे प्लम्बर (कुशल) जिनकी वेतन लेवल - 2 (रु. 19900-61200) की श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है और पद के लिए विहित व्यवसाय परीक्षण पास हैं।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. कमांडेंट या उसका नामनिर्देशिती जो लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नीचे का न हो - अध्यक्ष 2. मेजर या समतुल्य सिविलियन अधिकारी - सदस्य 3. असंबंध विभाग से कमीशंड आफिसर या समूह 'क' राजपत्रित सिविलियन आफिसर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. पी सी-39560/सिवि./आर.आर./एफ.पी./ई-1ए/ 589/डी (नि.)/2017]

एस. एस. एस. सर्मा, निदेशक (स्थापना एवम् सिविलियन कार्मिक)

New Delhi, the 19th December, 2017

S.R.O. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Civilian in Defence Services (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules 1972, in so far as they relate to the post of Fitter Pipe, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' post, (Fitter Pipe (Skilled, Highly Skilled Grade-II and Highly Skilled Grade-I) in the College of Military Engineering, Pune, namely:-

1. Short title and commencement. —1. These rules may be called the Civilian in Defence Services (Group 'C' Post), Fitter Pipe (Skilled, Highly Skilled Grade-II and Highly Skilled Grade-I) in College of Military Engineering, Pune Recruitment Rules 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.—The number of posts, their classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule :

4. Disqualification.—No person :-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and then other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification
(1)	(2)	(3)
FITTER PIPE (SKILLED)	02* (2017) *Subject to variation dependant on workload	General Central Services Group 'C', (Non-Gazetted.) Industrial.

Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Level – 2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servant's up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddhak division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential :- (a) 10th class pass from recognised Board or equivalent. (b) ITI Certificate in the trade or its equivalent. (c) Two years experience in the associated trade from any reputed or recognized Firm or Organisation.	Not applicable	Two years for direct recruits	By absorption failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, Level in the Pay Matrix from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation/ Absorption : Persons working in similar, equivalent or higher Level in the Pay Matrix in lower formations of Defence Services.	Group `C' Departmental Promotion Committee for considering the confirmation: 1. Commandant or his nominee not below the rank of Lieutenant Colonel - Chairman 2. One Major or equivalent Civilian Officers - Member 3. Commissioned Officer or Civilian Gazetted Gp `A' Officer not connected with the Department - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)
FITTER PIPE (HIGHLY SKILLED GRADE-II)	01* (2017) *Subject to variation dependant on workload	General Central Services Group `C', (Non-Gazetted) Industrial

(4)	(5)	(6)
Level - 4 (Rs 25500-81100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion : Fitter Pipe (Skilled) with eight years regular service in Level -2 of Pay Matrix (Rs 19900-63200) and have passed the trade test prescribed for the post.

(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee Consisting of :- 1. Commandant or his nominee not below the rank of Lieutenant Colonel - Chairman 2. Major or equivalent Civilian Officer - Member 3. Commissioned Officer or Civilian Gazetted Group 'A' Officer not connected with the Department - Member	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)
FITTER PIPE (HIGHLY SKILLED GRADE-I)	01* (2017) *Subject to variation dependant on workload	General Central Services Group 'C', Non-Gazetted, Industrial.

(4)	(5)	(6)
Level - 5 (Rs. 29200-92300)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion : Fitter Pipe (Highly Skilled Grade-II) with five years service in the Level -4 (Rs 25500-81100) of Pay Matrix and have passed the trade test prescribed for the post.

(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee Consisting of :- 1. Commandant or his nominee not below the rank of Lieutenant Colonel - Chairman 2. Major or equivalent Civilian Officer - Member 3. Commissioned Officer or Civilian Gazetted Group 'A' Officer not connected with the Department - Member	Not applicable.

[F. No. PC-39560/Civ/RR/FP/E1A/589/D(Apts)/2017]

S. S. S. SARMA, Director (Estt/CP)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

का. नि. आ. 106.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) नौसैनिक आयुधादि निरीक्षण संगठन, तकनीकी पर्यवेक्षीय कर्मचारीवृन्द और परीक्षक, मैकेनिक और गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2008 जहां तक फोरमैन (मैकेनिक), फोरमैन (गोलाबारूद), और विस्फोटक सामग्री, सहायक फोरमैन (मैकेनिक), सहायक फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री), चार्जमैन (मैकेनिक), चार्जमैन-1 (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री), चार्जमैन-2 (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) एकीकृत मुख्यालय में नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन, तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारिवृन्द (मैकेनिक और गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री) समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन, तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारिवृन्द (मैकेनिक और गोलाबारूद तथा विस्फोटक सामग्री) समूह "ख" भर्ती नियम 2017 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर यह नियम लागू होंगे।
3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है; या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
 परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुग्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों कि कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. फोरमैन (मैकेनिक)	148* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-7 (रु. 44900-142400)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत; अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 25 प्रतिशत, जिसके ना हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	
(11)	
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में ऐसा चार्जमैन (मैकेनिक) में श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने विभागीय अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्धसरकारी या कानूनी स्वायत्त संगठन के अधिकारी -</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35500-112400) या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों; अर्थात्</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या उत्पादन इंजीनीयरी में डिप्लोमा, और</p> <p>(ii) आयुधादि उत्पादन और निरीक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालय – अध्यक्ष नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालय से उपनिदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (नौसैना) द्वारा यथा-नामित निदेशक या उपसचिव के स्तर का अधिकारी – सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. चार्जमैन (मैकेनिक)	220* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (रु. 35500-112400)	लागू नहीं होता

(6)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या उत्पादन इंजीनीयरी में डिप्लोमा; (ii) मान्यताप्राप्त संगठन से गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन या परीक्षण या डिजाइन या उत्पादन के क्षेत्र में सबूत या उपस्कर या प्रणाली इंजीनीयरी में अनुरक्षण में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा:- टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संगठन के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, मूल संवर्ग या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो और स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारण कर रहे हों; (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति के अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष होगी।	
---	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय – अध्यक्ष 2. नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से संयुक्त निदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य 3. नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से उपनिदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य 4. रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (नौसेना) द्वारा यथा नामित निदेशक या उपसचिव के स्तर का अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)
3. फोरमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री)	105* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय

(4)	(5)	(6)	(7)
स्तर-7 (रु. 44900-142400)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत; अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 25 प्रतिशत, जिसके ना हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में ऐसा चार्जमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री) जिसने श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने विभागीय अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्धसरकारी या कानूनी स्वावत संघठन के अधीन अधिकारी :</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; (ii) मूल संवर्ग या विभाग वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35500-112400) में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात्</p>

पाँच वर्ष सेवा की हो;

(ख) शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों;

(i) आयुधादि उत्पादन और निरीक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन विभाग में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रासायनिक इंजीनीयरी में डिप्लोमा और तीन वर्ष अनुभव ।

टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिससे निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय – अध्यक्ष नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से संयुक्त निदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य नौसेना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से उपनिदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (नौसेना) द्वारा यथा नामित निदेशक या उपसचिव के स्तर का अधिकारी – सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
4. चार्जमैन (गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री)	160* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (रु. 35400-112400)

(5)	(6)
चयन	<p>30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p>

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनिक इंजीनीयरी में डिप्लोमा, तथा किसी मान्यताप्राप्त संगठन से रासायनिक इंजीनीयरी के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण या गुणवत्ता आश्वासन या परीक्षण मान्यताप्राप्त इंजीनीयरी प्रसंग के क्षेत्र में परीक्षण या सबूत में दो वर्ष अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

<p>टिप्पण 1:- अर्हताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखन वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		
--	--	--

(10)	(11)
<p>सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत। प्रोन्नति द्वारा 20 प्रतिशत जिसके ना हो सकने पर अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) में परीक्षक जिसने श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टिप्पण 1: इन व्यक्तियों के लिए जो इस नियम की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर परीक्षक के पद तत्कालीन पोषक वर्ग पद धारण कर रहे हैं, पात्रता सेवा आठ वर्ष जारी रहेगी।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालयों या अर्धसरकारी या कानूनी संघठन या स्वावत संघठन के अधीन श्रेणी अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100) या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।</p>

	<p>टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध के लिए) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय – अध्यक्ष नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से संयुक्त निदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से उपनिदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (नौसेना) द्वारा यथा नामित निदेशक या उपसचिव के स्तर का अधिकारी – सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक, नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय – अध्यक्ष नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से संयुक्त निदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य नौसैना आयुधादि निरीक्षण संगठन महानिदेशालाय से उपनिदेशक के स्तर का अधिकारी या समतुल्य – सदस्य रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (नौसेना) द्वारा यथा नामित निदेशक या उपसचिव के स्तर का अधिकारी – सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. सी.पी(एनजी)/2817/टी एस एस/एन ए आई ओ/भर्ती नियम/588/2017]

एस.एस.एस. सर्मा, निदेशक, (स्थापना सिविलियन कार्मिक)

New Delhi, the 22nd December, 2017

S.R.O. 106.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Technical Supervisory Staff and Examiner Mechanic and Ammunition and Explosives, Group 'B' and 'C' posts, Recruitment Rules, 2008, in so far as they relate to the post of Foreman (Mechanic), Foreman (Ammunition and Explosive), Assistant Foreman (Mechanic), Assistant Foreman (Ammunition and Explosive), Chageman-I (Mechanic), Chageman-I (Ammunition and Explosive), Chageman-II (Mechanic), Chageman-II (Ammunition and Explosive), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Naval Armament Inspection Organisation Technical

Supervisory Staff (Mechanic and Ammunition and Explosive), Group 'B' posts in Integrated Headquarters Ministry of Defence(Navy), namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Integrated Headquarters Ministry of Defence(Navy), Naval Armament Inspection Organisation, Technical Supervisory Staff (Mechanic and Ammunition and Explosive) Group 'B' Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the aforesaid Schedule.

3. **Number, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected there with shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax and of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post (1)	Number of posts (2)	Classification (3)	Level in the pay matrix (4)
1. Foreman (Mechanic)	148* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs.44900-142400)

Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)	Educational and other qualification required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualification is prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any (9)	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. (10)	In case of recruitment by promotion or absorption or deputation, grades from which promotion or absorption or deputation to be made. (11)
Not applicable	75% by promotion; 25% by deputation	Promotion: Chageman (Mechanic) in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and who have passed the

including short term contract failing which by promotion	<p>departmental qualifying test.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five-year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis Level-6 (₹35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics or Production Engineering from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) Three years experience in a Quality Control or Quality Assurance Department in the area of Armament Production and Inspection.</p> <p>Note 1: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation – Chairman</p> <p>(2) One officer of the rank of Joint Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member</p> <p>(3) One officer of the rank of Deputy Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(4) Director or Deputy Secretary rank officer from the Ministry of Defence, as nominated by Joint Secretary (Navy) – Member	
---	--

(1)	(2)	(3)
2. Chargeman (Mechanic)	220* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)
<p>Essential:</p> <p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics or Production Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) Two years experience in quality control or quality assurance or testing or proof in the area of design or production or maintenance of engineering equipment or system from a recognised organisation.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two years	<p>By direct recruitment :-</p> <p>Note. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis from officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisation, holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Deputation: Officers in Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) with five years' regular service in Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	Not applicable

	Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.	
--	---	--

(12)	(13)
Group "B" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation –Chairman	
(2) One Officer of the rank of Joint Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection –Member	
(3) One Officer of the rank of Deputy Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member	
(4) Director or Deputy Secretary rank officer from the Ministry of Defence, as nominated by Joint Secretary (Navy) –Member	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Foreman (Ammunition and Explosive)	105* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs. 44900-142400)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
75% by promotion; 25% by deputation including short term contract failing which by promotion	<p>Promotion: Chargeman (Ammunition and Explosive) in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in Level-6 (₹ 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p>

	<p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Diploma in Chemical Engineering from a recognised University or Institution plus three years experience in a Quality Control or Quality Assurance Department in the area of Armament Production and Inspection.</p> <p>Note 1: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.</p>
--	---

(12)	(13)
<p>Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation – Chairman</p> <p>(2) One Officer of the rank of Joint Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member</p> <p>(3) One Officer of the rank of Deputy Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary rank officer from the Ministry of Defence, as nominated by Joint Secretary (Navy) – Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary</p>

(1)	(2)	(3)
4. Chargeman (Ammunition and Explosive)	160* (2017) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial

(4)	(5)	(6)
Level-6 (Rs. 35400-112400)	Selection	<p>Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: Diploma in Chemical Engineering from a recognised University or Institution with two years experience in Quality Control or Quality Assurance or Testing or Proof in the area of Chemical Engineering or Processing from a recognised organisation.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable	Two years	<p>80% by direct recruitment.</p> <p>20% by promotion failing which by deputation including short term contract</p>

(11)
<p>Promotion: Examiner in level-4 (₹ 25500-81100) in the pay matrix having ten years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test.</p> <p>Note 1. The eligibility service shall continue to be eight years for persons holding the erstwhile feeder grade post of Examiner on regular basis on the date of notification of this rule.</p> <p>Note 2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.]</p>

(12)	(13)
<p>Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : -</p> <p>(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation –Chairman</p> <p>(2) One Officer of the rank of Joint Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member</p> <p>(3) One Officer of the rank of Deputy Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection – Member</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary rank officer from the Ministry of Defence, as nominated by Joint Secretary (Navy) –Member</p> <p>Group "B" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</p> <p>(1) Director, Naval Armament Inspection Organisation –Chairman</p> <p>(2) One Officer of the rank of Joint Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection –Member</p> <p>(3) One Officer of the rank of Deputy Director or equivalent from the Directorate General of Naval Armament Inspection –Member</p> <p>(4) Director/Deputy Secretary rank officer from the Ministry of Defence, as nominated by Joint Secretary (Navy) –Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. CP(NG)/2817/TSS/NAIO/RR/588/2017]

S. S. S. SARMA, Director (Establishment/Civilian Personnel)

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना समूह 'ग' (आशुलिपिक श्रेणी II) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना समूह 'ग' (आशुलिपिक श्रेणी II) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. सेना समूह 'ग' (आशुलिपिक श्रेणी II) भर्ती नियम, 2011 में:-

(क) नियम-3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।”

(ख) अनुसूची में;

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”
(4)
स्तर - 4
(रु. 25500 - 81100)

(ii) स्तंभ (11) में, 'स्थानांतरण' उपशीर्ष के नीचे टिप्पण का लोप किया जाए ।

[फा. सं. 15203/13/एमपी-4(सिव)(ए)/आरआर/ 561 /र.(नि.)]
दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 86, तारीख 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 19th December, 2017

S.R.O. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Army Group 'C' (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Army Group 'C' (Stenographer Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Army Group 'C' (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2011:-

(a) For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3.Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule. ”

(b) In the Schedule;

(i) In column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in pay matrix ”
(4)
Level-4 (Rs. 25500-81100)

(ii) In column (11), the note under the heading “Transfer” shall be omitted.

[F. No. 15203/13/MP-4(Civ)(a)/ RR/561/D(Apptts)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 31st December, 2011, vide notification number S.R.O. 86 dated the 20th December 2011.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27 | नई दिल्ली, नवम्बर 24—नवम्बर 30, 2013, शनिवार/अग्रहायण 3—अग्रहायण 9, 1935
No. 27 | NEW DELHI, NOVEMBER 24—NOVEMBER 30, 2013, SATURDAY/AGRAHAYANA 3—AGRAHAYANA 9, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2013

का.नि.आ. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा सेवाओं में सिविलियन की (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1972 को जहां तक उनका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-III (ज्येष्ठ) और पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-III (कनिष्ठ) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज पुणे में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (समूह 'ख' पदों) पुस्तकालय सूचना सहायक मिलिटरी इंजीनियरिंग कालेज, पुणे भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072021-228185
CG-DL-E-08072021-228185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10|
No. 10|

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2021/आषाढ 17, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2021/ASHADHA 17, 1943

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

का. नि. आ. 13(अ).—केंद्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक एवं तटरक्षक अपर महानिदेशक, समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक और तटरक्षक अपर महानिदेशक तटरक्षक, समूह 'क' पद, भर्ती (संशोधन) नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक एवं तटरक्षक अपर महानिदेशक, समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में:-

(क) महानिदेशक तटरक्षक (म.नि.त.र.) के पद से संबंधित स्तम्भ 12 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

"विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(i) रक्षा सचिव

- अध्यक्ष;

(ii) उप नौसेनाध्यक्ष

- सदस्य;

(iii) विशेष सचिव या अपर सचिव,

रक्षा मंत्रालय (प्रभारी भारतीय तटरक्षक)

- सदस्य।"

(ख) अपर महानिदेशक (ए डी जी) के पद से संबंधित स्तम्भ 12 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

"विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(i) रक्षा सचिव

- अध्यक्ष;

(ii) विशेष सचिव या अपर सचिव,

रक्षा मंत्रालय (प्रभारी भारतीय तटरक्षक)

- सदस्य;

(iii) महानिदेशक तटरक्षक

- सदस्य।"

[सं. 11(4)/2017-डी(सीजी)]

आशिस बिषयी, अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक महानिदेशक एवं तटरक्षक अपर महानिदेशक, समूह "क" पद, भर्ती नियम, 2017, भारत के राजपत्र, भाग II खंड 4, में 30 दिसम्बर 2017 को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, के का. नि. आ. 104, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2021

S.R.O. 13(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Coast Guard Director General and Coast Guard Additional Director General Coast Guard, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2017.

1. These rules may be called as Ministry of Defence, Coast Guard Director General and Coast Guard Additional Director General Coast Guard, Group 'A' post, Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Coast Guard Director General and Coast Guard Additional Director General Coast Guard, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2017,-

(a) for the entries in column (12) relating to the post of Director General Coast Guard (DGCG), the following shall be substituted, namely:-

"Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

(i) Defence Secretary

- Chairman;

(ii) Vice-Chief of Naval Staff

- Member;

(iii) Special Secretary or Additional Secretary,

Ministry of Defence (In-charge of Indian Coast Guard) - Member."

(b) for the entries in column (12) relating to the post of Additional Director General (ADG), the following shall be substituted, namely:-

“Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

- (i) Defence Secretary - Chairman;
- (ii) Special Secretary or Additional Secretary,
Ministry of Defence (In-charge of Indian Coast Guard) - Member;
- (iii) Director General Coast Guard - Member.”

[No. 11(4)/2017-D(CG)]

ASHIS BISHAYEE, Under Secy.

Note: The Ministry of Defence, Coast Guard Director General and Coast Guard Additional Director General Coast Guard, Group ‘A’ post, Recruitment Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Part II, section 4, on the 30th December, 2017 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Defence number S.R.O. 104 dated the 21st December, 2017.

(6)

Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(i) 12th Class pass or its equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms. Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription : 50 minutes for English and 65 minutes for Hindi on computer.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— 1. Deputy Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Chairman 2. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing (Armament), Khamaria —Member 3. One Officer of the rank of Principal Scientific Officer or equivalent from any other Defence establishment —Member	Not applicable.

[F. No. 2523/RRs (Gp 'C')/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2013

का.नि.आ. 78.—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 236, तारीख 17 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रकाशित तटरक्षक आफिसर सामान्य ड्यूटी शाखा (पायलट/नेवीगेटर) भर्ती नियम, 1982, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 35 तारीख 11 मार्च, 2008 द्वारा प्रकाशित सहायक कमांडेंट पायलट/व्यावसायिक पायलट लाइसेंस — अल्प सेवा भर्ती नियम, 2008 और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 34 तारीख 13 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित सहायक कमांडेंट महिला (सामान्य ड्यूटी — अल्प सेवा भर्ती नियम, 2009) को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन में सामान्य ड्यूटी शाखा आफिसरों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक जनरल ड्यूटी आफिसर, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी)	08* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	चयन-सह-योग्यता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		एक वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
	(10)		(11)		
प्रोन्नति द्वारा			तटरक्षक संगठन में ऐसा उपमहानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) जिसने दो वर्ष की नियमित सेवा (समूह 'क' में कुल चौबीस वर्ष की सेवा) की हो और साथ ही इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो।		

(11)

महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी) के रैंक में प्रोन्नति की तारीख को किसी आफिसर की न्यूनतम दो वर्ष की अवशिष्ट सेवा होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. महानिदेशक भारतीय तटरक्षक —अध्यक्ष
2. अपर महानिदेशक —सदस्य
3. महानिरीक्षक के रैंक में तटरक्षक क्षेत्र के ज्येष्ठतम कमांडर —सदस्य
4. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर, प्रशासन और अभिलेख) कार्मिक निदेशालय —सदस्य सचिव

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उपमहानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी)	59* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8900 रु.	चयन-सह-योग्यता	लागू नहीं होता

(7)

लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

एक वर्ष

(10)

प्रोन्नति द्वारा

(11)

तटरक्षक संगठन में ऐसा कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) जिसने नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल बीस वर्ष की सेवा) की हो और इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. अपर महानिदेशक —अध्यक्ष
2. कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (पूर्व) —सदस्य
3. प्रधान निदेशक (जनशक्ति और प्रशिक्षण) —सदस्य
4. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —सदस्य सचिव

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कमांडेंट (जनरल ड्यूटी)	268* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन-सह- योग्यता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		एक वर्ष

(10) प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा

प्रोन्नति :

तटरक्षक संगठन में कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (जनरल ड्यूटी) के रैंक में ऐसा कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) जिसने नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष की सेवा) की हो और इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो। महिला और पायलट (वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति) भर्ती हेतु कोई समुद्री सेवा अनिवार्य नहीं है।

वर्ष 2012 से आगे कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के पद से कमांडेंट की प्रोन्नति के लिए विचार करने के संबंध में मध्य जीविका प्रोन्नति परीक्षा (एमसीपीई) उत्तीर्ण की हो।

प्रतिनियुक्ति :

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा का ऐसा कमांडर जिसने न्यूनतम 15 वर्ष की कमीशन सेवा की है या कैप्टन और सेना और वायुसेना के समतुल्य आफिसर।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।
1. अपर महानिदेशक	—अध्यक्ष
2. कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम)	—सदस्य
3. प्रधान निदेशक (सामग्री)	—सदस्य
4. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास)	—सदस्य सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (जनरल ड्यूटी)	368* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	ज्येष्ठता-सह- उपयुक्तता	लागू नहीं होता
	(7)	(8)	(9)		
	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
	(10)	(11)			
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा		(क) प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन में ऐसा उपकमांडेंट (जनरल ड्यूटी) जिसने उपकमांडेंट (जनरल ड्यूटी) के रैंक में दो वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल ग्यारह वर्ष की सेवा) की हो और साथ ही इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो। महिला और पायलट (वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति) भर्ती हेतु कोई समुद्री सेवा अनिवार्य नहीं है।			
		(ख) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा का ऐसा सेवारत लेफ्टिनेंट कमांडर/कमांडर जिसने न्यूनतम 11 वर्ष की कमीशन सेवा की है और सेना तथा वायुसेना के समतुल्य आफिसर।			
		टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			
	(12)	(13)			
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।			
1. किसी भी शाखा या काडर के तटरक्षक क्षेत्र के महानिरीक्षक—अध्यक्ष के रैंक का नामनिर्देशित कमांडर, जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए					
2. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —सदस्य					
3. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट —सदस्य जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए					
4. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर —सदस्य सचिव (आफिसर प्रशासन और अभिलेख), कार्मिक निदेशालय					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप-कमांडेंट (जनरल ड्यूटी)	281* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	ज्येष्ठता-सह- उपयुक्तता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
------	------

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा

(क) प्रोन्नति :

तटरक्षक संगठन में ऐसा सहायक कमांडेंट जिसने सहायक कमांडेंट के रूप में छह वर्ष की सेवा की हो और साथ ही दो वर्ष की समुद्री सेवा की हो तथा तैरकी में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। महिला आफिसर और पायलट (वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति) भर्ती के लिए कोई समुद्री सेवा अनिवार्य नहीं है।

(ख) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा का ऐसा सेवारत आफिसर जिसने न्यूनतम छह वर्ष की कमीशन सेवा की है और सेना तथा वायुसेना के समतुल्य आफिसर।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
------	------

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —अध्यक्ष
2. किसी भी शाखा व काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य
3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर प्रशासन और अभिलेख), कार्मिक निदेशालय —सदस्य सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी)	316* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता	<p>सीधी भर्ती — जनरल ड्यूटी : भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को आयु 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और तटरक्षक संगठन के सेवारत कार्मिक या सेना या नौसेना या वायुसेना के समतुल्य कार्मिकों की दशा में और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>जनरल ड्यूटी या पायलट या नौचालक भर्ती : भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को आयु 19 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और तटरक्षक संगठन के सेवारत कार्मिक या सेना या नौसेना या वायुसेना के समतुल्य कार्मिकों की दशा में और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति धारक की भर्ती : भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को आयु 19 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>अल्पकालीन सेवा — महिला : भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को आयु 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p>

(7)	(8)	(9)
<p>सीधी भर्ती — जनरल ड्यूटी : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समतुल्य जिसमें 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इंटरमिडिएट या 12वीं कक्षा तक गणित तथा भौतिकी विषय रहे हों ।</p> <p>जनरल ड्यूटी या पायलट या नौचालक भर्ती : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समतुल्य जिसमें शिक्षा प्रणाली की इंटरमिडिएट या 10+2+3 की 12वीं कक्षा तक गणित तथा भौतिकी विषय रहे हों ।</p> <p>वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति धारक की भर्ती : अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को 12वीं कक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो और उसके पास महानिदेशालय नागर विमानन द्वारा जारी/विधिमान्यकृत वैध वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति हो ।</p> <p>अल्पकालीन सेवा — महिला : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समतुल्य जिसमें शिक्षा प्रणाली की इंटरमिडिएट या 10+2+3 की 12वीं कक्षा तक गणित तथा भौतिकी विषय रहे हों ।</p>	लागू नहीं होता	<p>दो वर्ष</p> <p>यदि निचले ग्रेड से प्रोन्नत कार्मिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय प्रयास में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें उनके मूल रैंक पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।</p>
(10)	(11)	
<p>25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 75% सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।</p>	<p>(क) प्रोन्नति : प्रधान अधिकारी या उत्तम अधिकारी के रैंक में तटरक्षक के ऐसे उपयुक्त सेवारत अधीनस्थ अधिकारी जिनको प्रधान या उत्तम अधिकारी के रैंक में एक वर्ष का अनुभव और अधिकारी के रैंक में दो वर्ष का अनुभव हो और जिन्होंने महानिदेशक तटरक्षक द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।</p>	
	<p>(ख) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : नौसेना के कार्यकारी शाखा में सब-लेफ्टिनेंट रैंक धारण करने वाले आफिसर या सेना और वायुसेना के समतुल्य रैंक धारण करने वाले आफिसर ।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	
(12)	(13)	
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—</p>	लागू नहीं होता ।	
<p>1. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास)</p>	—अध्यक्ष	

(12)

- | | |
|--|-------------|
| 2. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट रैंक में तटरक्षक के दो आफिसर जिनको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए | —सदस्य |
| 3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर प्रशासन और अभिलेख), कार्मिक निदेशालय | —सदस्य सचिव |

[फा. सं. 1(1)/2011/डी (सीजी) (i)]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2013

S.R.O. 78.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) and in supersession of the Coast Guard Officers General Duty Branch (Pilot/Navigator) Recruitment Rules, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide, number S.R.O. 236, dated the 17th September, 1982, the Assistant Commandant Pilot/Commercial Pilot Licence-Short Service Recruitment Rules, 2008, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide number S.R.O. 35, dated the 11th March, 2008, and the Assistant Commandant Women (General Duty)- Short Service Recruitment Rules, 2009, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide number S.R.O. 34, dated the 13th November, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of General Duty Branch officers in Ministry of Defence, Coast Guard Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard General Duty Officers Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts; classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector General (General Duty)	08* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 10000	Selection-cum-merit	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	One year	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
By promotion			Deputy Inspector General (General Duty) in the Coast Guard Organisation with two years regular service (having total twenty four years Group 'A' service) with one year searitime in the rank. An officer on the date of promotion to the rank of Inspector General (General Duty) should have minimum two years residual service.		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(12)			(13)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:			Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.		
1. Director General, Indian Coast Guard —Chairman					
2. Additional Director General —Member					
3. Senior most Commander of Coast Guard Region in the rank of Inspector General —Member					
4. Senior Civilian Staff Officer (Officers Administration and Records), Directorate of Personnel —Member Secretary					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Inspector General (General Duty)	59* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 8900	Selection-cum-merit	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
Not applicable	Not applicable		One year		
(10)	(11)				
By promotion	Promotion : Commandant (General Duty) in the Coast Guard Organisation with three years service in the rank of Commandant on regular basis (having total twenty years Group 'A' service) with one year sea time in the rank.				
(12)	(13)				
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—				Not applicable.	
1. Additional Director General		—Chairman			
2. Commander, Coast Guard Region (East)		—Member			
3. Principal Director (Man Power and Training)		—Member			
4. Principal Director (HRD)		—Member Secretary			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Commandant (General Duty)	268* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 8700	Selection-cum-merit	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
Not applicable	Not applicable		One year		
(10)	(11)				
By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Commandant (Junior Grade) (General Duty) in the Coast Guard Organisation with two years service in the rank of Commandant (Junior Grade) on regular basis (having total fifteen years Group 'A' service) with one year sea time in the				

(11)

rank. No mandatory sea time for Women and Pilot (Commercial Pilot Licence) entry.

Should have passed the Mid Career Progression Exam for considering promotion from the post of Commandant (Junior Grade) to Commandant from the year 2012 onwards.

Deputation :

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) Commander of the Executive Branch of the Indian Navy with a minimum fifteen years of commissioned service or Captain, and equivalents in Army and Air Force.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceeding three years.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

Not applicable.

1. Additional Director General —Chairman
2. Commander, Coast Guard Region (West) —Member
3. Principal Director (Material) —Member
4. Principal Director (HRD) —Member Secretary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Commandant (Junior Grade) (General Duty)	368* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 7600	Seniority-cum-fitness	Not applicable

(7)

(8)

(9)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(10)

(11)

By promotion failing which by transfer on deputation failing which by re-employment.

(a) Promotion :

Deputy Commandants (General Duty) in the Coast Guard Organisation with two years service in the rank of Deputy Commandant (having total 11 years Group 'A' service) with

(11)

one year sea time in the rank. No mandatory sea time for Women and Pilot (Commercial Pilot Licence) entry.

(b) Deputation/Re-employment :

A serving Lt Commander or Commander of the executive branch of Indian Navy with a minimum eleven years commissioned service and equivalents in Army and Air Force.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceeding three years.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1. Nominated Commander of a Coast Guard Region in the rank of Inspector General of any branch or cadre to be nominated by Director General Indian Coast Guard on each occasion —Chairman
2. Principal Director (HRD) —Member
3. Deputy Inspector General or Commandant of any branch or cadre to be nominated by Director General Indian Coast Guard on each occasion —Member
4. Senior Civilian Staff Officer (Officers Administration and Records), Directorate of Personnel —Member Secretary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Commandant (General Duty)	281*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600	Seniority-cum-fitness	Not applicable
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		Not applicable
(10)			(11)		
By promotion failing which by transfer on deputation failing which by re-employment.			(a) Promotion :		
			Assistant Commandants in the Coast Guard Organisation with six years service as Assistant Commandant, having two		

(11)

years sea time and swimming qualified. No mandatory sea time for Women and Pilot (Commercial Pilot Licence) entry.

(b) Deputation/Re-employment

A serving officer of the Executive Branch of the Indian Navy with a minimum six years of commissioned service and equivalents in Army and Air Force.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceeding three years.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—

Not applicable.

1. Principal Director (HRD) —Chairman
2. Deputy Inspector General or Commandant —Member
of any Branch or Cadre to be nominated by
Director General Indian Coast Guard on
each occasion
3. Senior Civilian Staff Officer (Officers —Member Secretary
Administration and Records),
Directorate of Personnel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Commandant (General Duty)	316* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non- Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 with Grade Pay of Rs. 5400	Seniority- cum- fitness	<p>Direct Entry General Duty : Should not be less than 21 years and more than 25 years on 1st July of the year of recruitment and relaxable up to five years in case of personnel serving in the Coast Guard Organisation or equivalent personnel in Army or Navy or Air Force and for the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, three years for the Other Backward Classes.</p> <p>General Duty /Pilot Navigator Entry: Should not be less than 19 years and more than 25 years on 1st July of the year of recruitment and relaxable upto five years in case of personnel serving in the Coast Guard Organisation or equivalent personnel in Army or Navy or Air Force and for the candidates</p>

(6)

belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, three years for the Other Backward Classes.

Commercial Pilot Licence Entry:

Should not be less than 19 years and more than 25 years on 1st July of the year of recruitment and relaxable upto five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, three years for the Other Backward Classes.

Women Short Service:

Should not be less than 21 years and more than 25 years on 1st July of the year of recruitment and relaxable upto five years in case on Schedule Caste/Schedule Tribe candidates, three years for Other Backward Classes.

(7)	(8)	(9)
<p>Direct Entry General Duty : Should hold a degree of recognized University with Mathematics and Physics as subjects up to Intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent.</p> <p>General Duty or Pilot Navigator Entry : Should hold a degree of recognized university with Mathematics and Physics as subjects upto Intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent.</p> <p>Commercial Pilot Licence Entry: Should have passed 12th class or equivalent and should possess current Commercial Pilot Licence issued/validated by Director General Civil Aviation on date of submission of application</p> <p>Women Short Service : Should hold a degree of recognized university with Mathematics and Physics as subjects upto Intermediate or class XII of 10+2+3 scheme of education or equivalent.</p>	Not applicable	<p>Two years Personnel promoted from the lower grade, if failed in professional courses in second attempt should be reverted back to original rank.</p>
(10)	(11)	
<p>25% by promotion, failing which by direct recruitment 75% by direct recruitment failing which by transfer on deputation.</p>	<p>(a) Promotion : Suitable serving Subordinate Officers of the Coast Guard of the rank of Pradhan Adhikari or Uttam Adhikari with one</p>	

(11)

year experience and Adhikari with two years experience, subject to qualifying the Departmental Examination as prescribed by the Director General Coast Guard.

(b) Transfer on deputation :

Officer holding a rank of Sub-Lieutenant of Executive Branch in Navy or equivalents in Army and Air Force.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceeding three years.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

Not applicable.

1. Principal Director (HRD) —Chairman
2. Two officers of Coast Guard in the rank of Deputy Inspector General or Commandant of any branch or cadre to be nominated by Director General Indian Coast Guard on each occasion —Members
3. Senior Civilian Staff Officer (Officers Administration and Records), Directorate of Personnel —Member Secretary

[F. No. 1(1)/2011/D(CG)(i)]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2013

का.नि.आ. 79.—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और का.नि.आ. 254, तारीख 6 नवम्बर, 1982 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 4 में प्रकाशित तटरक्षक भर्ती नियम (तकनीकी आफिसर) एवं तटरक्षक आफिसर (तकनीकी) भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन में तकनीकी शाखा आफिसरों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक (तकनीकी आफिसर), भर्ती नियम, 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड या वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिरीक्षक (तकनीकी)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	चयन-सह-योग्यता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		एक वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
	(10)		(11)		
	प्रोन्नति द्वारा		तटरक्षक संगठन में ऐसा उपमहानिरीक्षक (तकनीकी) जिसने दो वर्ष की नियमित सेवा (समूह 'क' में कुल चौबीस वर्ष की सेवा) की हो । महानिरीक्षक (तकनीकी) के रैंक में प्रोन्नति की तारीख को किसी आफिसर की अनिवार्य रूप से न्यूनतम दो वर्ष की अवशिष्ट सेवा होनी चाहिए ।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
	(12)				(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—					संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
1. महानिदेशक भारतीय तटरक्षक			—अध्यक्ष		

(12)

- | | |
|---|--------|
| 2. अपर महानिदेशक | —सदस्य |
| 3. महानिरीक्षक के रैंक में तटरक्षक क्षेत्र के वरिष्ठतम कमांडर | —सदस्य |
| 4. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर, प्रशासन व अभिलेख), कार्मिक निदेशालय | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उपमहानिरीक्षक (तकनीकी)	24* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8900 रु.	चयन-सह-योग्यता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	तटरक्षक संगठन में ऐसा कमांडेंट (तकनीकी) जिसने नियमित आधार पर कमांडेंट के रैंक में तीन वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल बीस वर्ष की सेवा) की हो तथा इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।

- | | |
|---|-------------|
| 1. अपर महानिदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (पूर्व) | —सदस्य |
| 3. प्रधान निदेशक (जनशक्ति और प्रशिक्षण) | —सदस्य |
| 4. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) | —सदस्य सचिव |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कमांडेंट (तकनीकी)	146* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन-सह-योग्यता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	<p>प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन में ऐसा कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (तकनीकी) जिसने नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष की सेवा) की हो तथा इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो। वर्ष 2012 से आगे से कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) से कमांडेंट के पद में प्रोन्नति पर विचाराधीन हेतु मध्य जीविका प्रोन्नति परीक्षा (एमसीपीई) उत्तीर्ण की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : भारतीय नौसेना के तकनीकी शाखा का ऐसा सेवारत कमांडर या कप्तान जिसने न्यूनतम 15 वर्ष की कमीशन सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।
1. अपर महानिदेशक	—अध्यक्ष
2. कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम)	—सदस्य
3. प्रधान निदेशक (सामग्री)	—सदस्य
4. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास)	—सदस्य सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (तकनीकी)	95* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	ज्येष्ठता-सह- योग्यता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा	<p>(क) प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन में ऐसा उप कमांडेंट जिसने उप कमांडेंट (तकनीकी) के रैंक में दो वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल ग्यारह वर्ष की सेवा) की हो और इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो।</p>

(11)

(ख) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

ऐसे सेवारत लेफ्टिनेंट कमांडर जिन्होंने भारतीय नौसेना के तकनीकी शाखा में न्यूनतम 11 वर्ष की कमीशन सेवा की है और सेना एवं वायुसेना के समकक्ष आफिसर ।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. तटरक्षक क्षेत्र के महानिरीक्षक रैंक के नामनिर्देशित कमांडर, जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —अध्यक्ष
2. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —सदस्य
3. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य
4. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर प्रशासन एवं अभिलेख), कार्मिक निदेशालय —सदस्य सचिव

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप कमांडेंट (तकनीकी)	81* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	ज्येष्ठता-सह-योग्यता	लागू नहीं होता
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

ऐसा उपयुक्त सहायक कमांडेंट (तकनीकी) जिसने सहायक कमांडेंट के रूप में छह वर्ष की सेवा की हो और दो वर्ष की सपुत्री सेवा पूरी की हो और तैराकी में अर्हित हो ।

(11)

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

ऐसे सेवारत आफिसर जिन्होंने भारतीय नौसेना के इंजीनियरी या इलेक्ट्रीकल या नौसेना निर्माण शाखा में न्यूनतम छह वर्ष की कमिशन सेवा की है और सेना एवं वायु सेना के समतुल्य आफिसर ।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —अध्यक्ष
2. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य
3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर प्रशासन एवं अभिलेख), कार्मिक निदेशालय —सदस्य सचिव

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक कमांडेंट (तकनीकी)	93* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	ज्येष्ठता-सह-योग्यता	भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और तटरक्षक संगठन के सेवारत कार्मिक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 05 वर्ष तक शिथिलनीय और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष तक शिथिलनीय ।

(7)

नेवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल या मैरिन या ऑटोमोटिव या मेक्ट्रॉनिक्स या औद्योगिक एवं उत्पाद या धातु विज्ञान या डिजाइन या एरोनॉटिकल या एयरोस्पेश या इलेक्ट्रीकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या इन्स्ट्रुमेंटेशन या इंस्ट्रुमेंटेशन और नियंत्रण या इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार या वैद्युत इंजीनियरी या वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक

(8)

लागू नहीं होता

(9)

दो वर्ष निचले ग्रेड से प्रोन्नत कार्मिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रयास में अनुत्तीर्ण हुए तो उन्हें उनके मूल रैंक पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा ।

(7)

में डिग्री होनी चाहिए या उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय में इंजीनियर संस्थान (भारत) द्वारा भाग 'क' व 'ख' से छूट प्राप्त मान्यताप्राप्त समकक्ष योग्यता और उनके सह-सदस्यता परीक्षा में उत्तीर्ण।

(10)

25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
75% सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।

(11)

प्रोन्नति :

महानिदेशक तटरक्षक द्वारा यथाविहित विभागीय परीक्षा अर्हित करने के अध्यक्षीन, तटरक्षक संगठन के ऐसे उपयुक्त सेवारत अधीनस्थ अधिकारी जिनका प्रधान सहायक इंजीनियर, उत्तम सहायक इंजीनियर रैंक में एक वर्ष का अनुभव हो और सहायक इंजीनियर रैंक में दो वर्ष का अनुभव हो।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

नौसेना के इंजीनियरी या इलैक्ट्रीकल या नौसेना निर्माण शाखा में सब-लेफ्टिनेंट रैंक को धारण कर रहा कोई सेवारत अधिकारी।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —अध्यक्ष
2. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट रैंक के दो आफिसर जिनको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य
3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर प्रशासन और अभिलेख), कार्मिक निदेशालय —सदस्य सचिव

(13)

लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1(1)/2011/डी (सीजी) (ii)]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2013

S.R.O. 79.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) and in supersession of the Coast Guard Officers(Technical) Recruitment Rules, published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide number S.R.O. 254, dated the 6th November, 1982 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating

the method of recruitment for the posts of Technical Branch Officers in the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard (Technical Officers) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector General (Technical)	01* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 10000	Selection-cum-merit	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		One year

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
(10)	(11)	(12)	(13)		
By promotion	Deputy Inspector General (Technical) in the Coast Guard Organisation with two years regular service (having total twenty four years Group 'A' service). An officer on the date of promotion to the rank of Inspector General (Technical) should have minimum two years residual service.				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Director General, Indian Coast Guard —Chairman 2. Additional Director General —Member 3. Senior most Commander of Coast Guard Region in the rank of Inspector General —Member 4. Senior Civilian Staff Officer (Officers Administration and Records), Directorate of Personnel —Member Secretary		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Inspector General (Technical)	24* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 8900	Selection-cum-merit	Not applicable
(7)	(8)	(9)			
Not applicable	Not applicable	One year			
(10)	(11)	(12)	(13)		
By promotion	Promotion : Commandant (Technical) in the Coast Guard Organisation with three years service in the rank of Commandant on regular basis (having total twenty years Group 'A' service) with one year sea time in the rank.				
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Additional Director General —Chairman		Not applicable.			

(12)

2. Commander, Coast Guard Region (East) —Member
3. Principal Director (Man Power and Training)—Member
4. Principal Director (HRD) —Member Secretary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Commandant (Technical)	146* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 8700	Selection-cum-merit	Not applicable

(7)

Not applicable

(8)

Not applicable

(9)

One year

(10)

By promotion failing which by transfer on deputation.

(11)

Promotion :

Commandant (Junior Grade) (Technical) in the Coast Guard Organisation with two years service in the rank of Commandant (Junior Grade) (Technical) on regular basis (having total fifteen years Group 'A' service) with one year sea time in the rank.

Should have passed the Mid Career Progression Exam for considering promotion from the post of Commandant (Junior Grade) to Commandant from the year 2012 onwards.

Deputation :

A serving Commander of the Technical Branch of the Indian Navy with a minimum 15 years of commissioned service or Captain.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceeding three years.

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

1. Additional Director General —Chairman
2. Commander, Coast Guard Region (West) —Member
3. Principal Director (Material) —Member
4. Principal Director (HRD) —Member Secretary

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Commandant (Junior Grade) (Technical)	95* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non- Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 with Grade Pay of Rs. 7600	Seniority-cum- fitness	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
	By promotion failing which by transfer on deputation failing which by re-employment.		(a) Promotion : Deputy Commandants (Technical) in the Coast Guard Organisation with two years service in the rank of Deputy Commandant (total eleven years Group 'A' service) with one year sea time in the rank. (b) Deputation/Re-employment : A serving Lt. Commander of the Technical branch of Indian Navy with a minimum eleven years commissioned service and equivalents in Army and Air Force. Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceeding three years.		
	(12)		(13)		
	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.		
	1. Nominated Commander of a Coast Guard Region in the rank of Inspector General to be nominated by Director General Indian Coast Guard on each occasion	—Chairman			
	2. Principal Director (HRD)	—Member			
	3. Deputy Inspector General or Commandant of any branch or cadre to be nominated by Director General Indian Coast Guard on each occasion	—Member			
	4. Senior Civilian Staff Officer (Officers Administration and Records), Directorate of Personnel	—Member Secretary			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Commandant (Technical)	81*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600	Seniority-cum-fitness	Not applicable
	(7)		(8)		(9)
	Not applicable		Not applicable		Not applicable
	(10)		(11)		
By promotion failing which by transfer on deputation failing which by re-employment.			<p>Promotion : Suitable Asstt. Commandant (Technical) with six years service as Assistant Commandant, having two years sea time and swimming qualified.</p> <p>Deputation/Re-employment : A serving officer of the Engineering or Electrical or Naval Construction Branch of the Indian Navy with a minimum six years of commissioned service and equivalents in Army and Air Force.</p> <p>Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceeding three years.</p>		
	(12)		(13)		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :				Not applicable.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Principal Director (HRD) —Chairman 2. Deputy Inspector General or Commandant of any Branch or Cadre to be nominated by Director General Indian Coast Guard on each occasion —Member 3. Senior Civilian Staff Officer (Officers Administration and Records), Directorate of Personnel —Member Secretary 					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Commandant (Technical)	93*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 5400	Seniority-cum-fitness	Should not be less than 21 years and more than 25 years on 1st July of the year of recruitment and relaxable up to five years in case of personnel serving in the Coast

(6)

Guard Organisation or for the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, three years for the Other Backward Classes.

(7)

(8)

(9)

Should possess a degree in Naval architecture or Mechanical or Marine or Automotive or Mechtronics or Industrial and Production or Metallurgy or Design or Aeronautical or Aerospace or Electrical or Electronics or Telecommunication or Instrumentation or Instrumentation and Control or Electronics and Communication or Power Engineering or Power Electronics or equivalent qualification in any of the above disciplines recognized by the institutes of the Engineers (India) as exempted from Section 'A' and 'B' and their associate membership examination.

Not applicable

Two years
Personnel promoted from the lower grade, if failed in professional courses in second attempt should be reverted back to original rank.

(10)

(11)

25% by promotion, failing which by direct recruitment.
75% by direct recruitment, failing which by transfer on deputation.

Promotion :

Subordinate Officers of the Coast Guard Organisation of the rank of Pradhan Sahayak Engineer, Uttam Sahayak Engineer with one year experience and Sahayak Engineer with two years experience, subject to qualifying the Departmental Examination as prescribed by the Director General Coast Guard.

Transfer on deputation :

A serving officer holding the rank of Sub-Lieutenant in Engineering or Electrical or Naval Construction Branch in Navy.

Note : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceeding three years.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

Not applicable.

1. Principal Director (HRD)

—Chairman

(12)

2. Two officers of Coast Guard in the rank of —Members
Deputy Inspector General or Commandant
of any Branch or Cadre to be nominated by
Director General Indian Coast Guard on
each occasion
3. Senior Civilian Staff Officer (Officers —Member Secretary
Administration and Records),
Directorate of Personnel

[F. No. 1(1)/2011/D(CG)(ii)]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2013

का.नि.आ. 80.—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक भर्ती नियम (विधि अधिकारी) 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन में विधि अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक (विधि अधिकारी), भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उपमहानिरीक्षक (मुख्य विधि अधिकारी)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8900 रु.	चयन-सह-योग्यता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	तटरक्षक संगठन में ऐसा कमांडेंट (विधि) जिसने नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल बीस वर्ष की सेवा) की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|-------------|
| 1. अपर महानिदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (पूर्व) | —सदस्य |
| 3. प्रधान निदेशक (जनशक्ति और प्रशिक्षण) | —सदस्य |
| 4. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) | —सदस्य सचिव |

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कमांडेंट (विधि)	6* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-4, 37400— 67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन-सह- योग्यता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	एक वर्ष
(10)	(11)	

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

प्रोन्नति :
तटरक्षक संगठन में ऐसा कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (विधि) जिसने कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (विधि) के रैंक में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा (समूह 'क' सेवा में कुल पंद्रह वर्ष की सेवा) की हो।

(11)

वर्ष 2012 से आगे कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) से कमांडेंट रैंक के पद के लिए प्रोन्नति पर विचार करने के लिए मध्य जीविका प्रोन्नति परीक्षा (एमसीपीई) उत्तीर्ण होनी चाहिए।

प्रतिनियुक्ति :

प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (i) विधि शाखा के ऐसे उपयुक्त नौसेना, सेना एवं वायुसेना से सेवारत, सेवानिवृत्त या निर्मुक्त अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 8700 रु. में 15 वर्ष की कमीशन सेवा की है जो विधि में डिग्री रखते हों और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।
- (ii) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के विधि शाखा के ऐसे उपयुक्त सेवारत आफिसर जिनका वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 8700 रु. है और जो विधि में डिग्री रखते हों और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।
- (iii) '(i)' एवं '(ii)' न होने पर केंद्रीय सरकार काडर के ऐसे उपयुक्त सिविलियन अधिकारी जो वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 8700 रु. में सदृश पद धारण किए हुए हैं जो कम से कम विधि में डिग्री रखते हों और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. अपर महानिदेशक —अध्यक्ष
2. कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (पश्चिम) —सदस्य
3. प्रधान निदेशक (सामग्री) —सदस्य
4. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —सदस्य सचिव

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) (विधि)	6* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	ज्येष्ठता-सह- योग्यता	लागू नहीं होता
(7)		(8)		(9)	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	

4778 GI/13-7

(10)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न हो सकने पर आमेलन द्वारा और इन सबके न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

तटरक्षक संगठन में ऐसा उपकमांडेंट (विधि) जिसने रैंक में दो वर्ष की सेवा (समूह 'क' में कुल ग्यारह वर्ष की सेवा) की हो और साथ ही इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/आमेलन :

- (क) नौसेना, सेना एवं वायुसेना से ऐसे उपयुक्त सेवारत, सेवानिवृत्त या निर्मुक्त आफिसर जिन्होंने वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600 रु. में 11 वर्ष की कमीशन सेवा की है जो विधि विषय में डिग्री रखते हों और जो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।
- (ख) अर्धसैनिक बलों के ऐसे उपयुक्त सेवारत, सेवानिवृत्त या निर्मुक्त आफिसर जो वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600 रु. में सदृश पद धारण किए हुए हैं। जो विधि में डिग्री रखते हों और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।
- (ग) 'क' एवं 'ख' न होने पर केंद्रीय सरकार काडर के ऐसे उपयुक्त सिविलियन आफिसर जो वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 7600 रु. में सदृश पद धारण किए हुए हैं जो विधि में डिग्री रखते हों और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।

टिप्पण : (i) सेवानिवृत्त या निर्मुक्त आफिसर के अलावा अन्य आफिसर के पुनर्नियोजन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे आयु-सीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त या निर्मुक्त होने वाले हैं। ऐसे आफिसरों को उस तारीख तक जिसको वे निर्मुक्त होने वाले हैं, प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा और उसके बाद अधिवर्षिता प्राप्त होने तक उनके पुनर्नियोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. तटरक्षक क्षेत्र के महानिरीक्षक रैंक के नामनिर्देशित कमांडर, जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —अध्यक्ष
2. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —सदस्य
3. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(12)

4. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर —सदस्य सचिव
(आफिसर प्रशासन एवं अभिलेख), कार्मिक निदेशालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप कमांडेंट (विधि)	3* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	ज्येष्ठता-सह- योग्यता	लागू नहीं होता
	(7) लागू नहीं होता	(8) लागू नहीं होता	(9)		
					(i) 35 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् किंतु अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने से पूर्व पुनर्नियोजन के मामले में एक वर्ष। (ii) अन्य सभी मामलों में लागू नहीं होता।
	(10)		(11)		

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न हो सकने पर आमेलन द्वारा और इन सभी के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा

1. प्रोन्नति :

तटस्थक संगठन में ऐसा सहायक कमांडेंट जिसने इस रैंक में छह वर्ष की सेवा पूरी की हो तथा साथ इसी रैंक में एक वर्ष की समुद्री सेवा की हो।

2. प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

- (क) नौसेना, सेना और वायुसेना से विधि शाखा के ऐसे उपयुक्त सेवारत, सेवानिवृत्त या निर्मुक्त आफिसर जिन्होंने वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600 रु. में छह वर्ष की कमीशन सेवा की है जो कम से कम विधि में डिग्री रखते हों और जो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।
- (ख) अर्धसैनिक बलों की विधि शाखा के ऐसे उपयुक्त सेवारत, सेवानिवृत्त या निर्मुक्त आफिसर जिनकी वेतन बैंड-3, ग्रेड वेतन 6600 रु. में न्यूनतम छह वर्ष की सेवा की है और जो कम से कम विधि में डिग्री रखते हों और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए अर्हित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।
- (ग) 'क' एवं 'ख' न होने पर केंद्रीय सरकार काडर के ऐसे उपयुक्त सेवारत सिविलियन आफिसर जो सदृश पद धारण किए हुए हैं और वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. में कम से कम छह वर्ष सेवा कर चुके हों जो कम से कम विधि में डिग्री रखते हों जो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए अर्हित हों। अंतर्राष्ट्रीय विधि या समुद्री विधि में अनुभव वांछनीय है।

टिप्पण : (i) सेवानिवृत्त और निर्मुक्त आफिसरों के अलावा अन्य आफिसरों के पुनर्नियोजन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे

(11)

आयु-सीमा संबंधी शर्तों को पूरा करने के अर्धधीन एक वर्ष के भीतर संवर्धनवृत्ति या अधिवर्धिता प्राप्त करने वाले हों। ऐसे आफिसरों को उनकी निर्मुक्ति संभाव्य तारीख तक प्रतिनियुक्त पर रखा जाएगा और उसके बाद अधिवर्धिता प्राप्त होने तक उनके पुनर्नियोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(iii) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए निर्मुक्ति के एक मास के भीतर पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के पुनर्नियोजन के लिए गत सेवा का फायदा दिया जाएगा।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. प्रधान निदेशक (मानव संसाधन और विकास) —अध्यक्ष
2. किसी भी शाखा या काडर के उपमहानिरीक्षक या कमांडेंट जिसको प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए —सदस्य
3. ज्येष्ठ सिविलियन स्टाफ आफिसर (आफिसर प्रशासन और अभिलेख), कार्मिक निदेशालय —सदस्य सचिव

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक कमांडेंट (विधि)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क", राजपत्रित, (अनुसूचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	भर्ती के वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और तटरक्षक संगठन के सेवारत कार्मिक या सेना या नौसेना या वायुसेना के समकक्ष कार्मिक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन वर्ष तक शिथिलनीय।

(7)

विधि में डिग्री

(8)

लागू नहीं होता

(9)

दो वर्ष

(10)

सीधी भर्ती द्वारा

(11)

लागू नहीं होता

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 1(1)/2011/डॉ (सीजी) (iii)]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2013

S.R.O. 80.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) and in supersession of the Coast Guard Officers (Law Officers) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Law Officers in the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard (Law Officers) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Inspector General (Chief Law Officer)	01*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400— 67000 with Grade Pay of Rs. 8900	Selection-cum-merit	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any			
(7)	(8)	(9)			
Not applicable	Not applicable	One year			
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods					
(10)	(11)				
By promotion	Promotion : Commandant (Law) in the Coast Guard Organisation with three years service in the rank of Commandant on regular basis (having total twenty years Group 'A' service).				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition					
(12)		(13)			
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Director General —Chairman 2. Commander, Coast Guard Region (East) —Member 3. Principal Director (Man Power and Training) —Member 4. Principal Director (HRD) —Member Secretary		Not applicable.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Commandant (Law)	6* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400—67000 with Grade Pay of Rs. 8700	Selection-cum-merit	Not applicable
(7)			(8)		(9)
Not applicable			Not applicable		One year
(10)			(11)		
By promotion failing which by transfer on deputation.			Promotion : Commandant (Junior Grade) (Law) in the Coast Guard Organisation with two years service in the rank of Commandant (Junior Grade) (Law) on regular basis (having total fifteen years Group 'A' service).		

(11)

Should have passed the Mid Career Progression Exam for considering promotion from the post of Commandant (Junior Grade) to Commandant from the year 2012 onwards.

Deputation the period of deputation will not ordinarily exceed three years.

(i) Suitable serving, retired or released officers of Law Branch in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8700 from the Navy, Army and Air Force with fifteen years commissioned service who possess a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court. Experience in International Law or Maritime Law is desirable.

(ii) Suitable serving, officers of Law Branch of Central Para Military Forces in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8700, who possess a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court. Experience in International Law or Maritime law is desirable.

(iii) Failing (i) and (ii) from amongst suitable serving civilian officers of the Central Govt. cadres holding analogous posts in Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8700 who possess atleast a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court. Experience in International Law or Maritime Law is desirable.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

Not applicable.

1. Additional Director General —Chairman
2. Commander, Coast Guard Region (West) —Member
3. Principal Director (Material) —Member
4. Principal Director (HRD) —Member Secretary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Commandant (Junior Grade) (Law)	6* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 7600	Seniority-cum-fitness	Not applicable

(7)

(8)

(9)

Not applicable

Not applicable

Not applicable

(10)

(11)

By promotion failing which by deputation and failing both by absorption and failing all by re-employment.

1. Promotion :

Deputy Commandants (Law) in the Coast Guard Organisation with two years service in the rank (having total eleven years Group 'A' service) with one year sea time.

(11)

2. Deputation/Re-employment/Absorption :

(a) Suitable serving, retired or released officers in Pay Band-3, with Grade Pay Rs. 7600 from the Navy, Army and Air Force with 11 years commissioned service who possess a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court. Experience in International Law or Maritime Law is desirable.

(b) Suitable serving retired or released officers in Pay Band-3, with Grade Pay Rs. 7600 of the para-military forces holding analogous posts who possess a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court. Experience in International Law or Maritime law is desirable.

(c) Failing (a) and (b) above from amongst suitable serving civilian officers in Pay Band -3, with Grade Pay Rs. 7600 of the Central Govt. cadres holding analogous posts who possess atleast a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court. Experience in International Law/ Maritime Law is desirable.

Note.- (i) In case of re-employment, officers other than retired and released, can also be considered, provided they are due for retirement or release within a period of one year, subject to fulfilling the condition of age limit. Such officers would be given deputation time upto the date on which they are due for release and thereafter they may be considered for re-employment till the age of superannuation.

(ii) The period of deputation will not ordinarily exceed three years. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately proceeding this appointment in the same organisation or department shall ordinarily not exceed three years).

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1. Nominated Commander of a Coast Guard —Chairman
Region in the rank of Inspector General
to be nominated by Director General Indian
Coast Guard on each occasion
2. Principal Director (HRD) —Member
3. Deputy Inspector General or Commandant —Member
of any branch or cadre to be nominated by
Director General Indian Coast Guard on
each occasion
4. Senior Civilian Staff Officer (Officers —Member Secretary
Administration and Records),
Directorate of Personnel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Deputy Commandant (Law)	3* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600	Seniority-cum-fitness	Not applicable
	(7)	(8)	(9)		
	Not applicable	Not applicable	(i) One year in case of re-employment after attaining the age of 35 years but before attaining the age of superannuation. (ii) Not applicable in all other cases.		
	(10)	(11)			
By promotion, failing which by deputation, failing which by absorption and failing all by re-employment.			1. Promotion : Assistant Commandants in the Coast Guard Organisation with six years service in the rank with one year sea time and qualified in the swimming test. 2. Deputation/ Re-employment : (a) Suitable serving, retired or released officers of Law Branch from the Navy, Army and Air Force in Pay Band -3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with six years commissioned service who possess atleast a degree in law and are qualified for enrolment as a advocate of a High Court. Experience in International Law or Maritime Law is desirable. (b) Suitable serving retired or released officers in Law Branch of Central Para Military Forces with atleast six years of service in Pay Band -3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600, who possess atleast a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court, experience in International Law or Maritime Law is desirable. (c) Failing (a) and (b) above from amongst suitable serving civilian officers of the Central Government cadres holding analogous posts of officers with atleast six years of service in Pay Band -3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600, who possess atleast a degree in law and are qualified for enrolment as an advocate of a High Court, experience in International Law or Maritime Law is desirable. Note.— (i). In case of re-employment, officers other than retired and released, can also be considered, provided they are due for retirement or release within a period of one year, subject to fulfilling the condition of age limit. Such officers would be given deputation time upto the date as which they are due for release and thereafter they may be considered for re-employment till the age of superannuation. (ii). The period of deputation will not ordinarily exceed three years. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years).		

(11)

(iii). For re-employment the officers joining within one month of release may be extended the benefit of past service for the purpose of promotion.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

Not applicable.

1. Principal Director (HRD) —Chairman
2. Deputy Inspector General or Commandant —Member
of any Branch or Cadre to be nominated by
Director General Indian Coast Guard on
each occasion
3. Senior Civilian Staff Officer (Officers —Member Secretary
Administration and Records),
Directorate of Personnel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Commandant (Law)	1*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Gazetted, (Non- Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 with Grade Pay of Rs. 5400	Not applicable	Should not be less than 21 years and more than 30 years on the 1st July of the year of recruitment. Relaxable up to five years in case of personnel serving in the Coast Guard Organisation or equivalent rank in Army or Navy or Air Force and for the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, three years for the Other Backward Classes.
	(7)		(8)		(9)
	A degree in Law		Not applicable		Two years
	(10)				(11)
	By direct recruitment				Not applicable
	(12)				(13)
	Not applicable			Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

[F. No. 1(1)/2011/D(CG)(iii)]

SUDHEER BABU MOTANA, Under Secy.